

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1452

दिनांक 02/11/2021

प्रार्थीगण :-

- 1.शोभाराम पुत्र जगमालराम
- 2.धाई पत्नि शोभाराम
- जातियान जाट, निवासी राणातली
- तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

- 1.गुलाराम 2.इदरा 3.सकराराम पि.तनुराम
- जाति मेगवाल, निवासी बीजराड
- 4.सरीफा पुत्र जानू 5.कासम 6.अरबाब पि.कादू
- जाति मुसलमान, निवासी रमजान की गफन
- 7.पनाराम पुत्र दमाराम, जाति जाट,
- निवासी बीजराड
- 8.पूनाराम पुत्र खानु, जाति मेगवाल
- निवासी भोजारिया, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 100/2021

दिनांक : 01.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र रमजान की गफन के मौजा रमजान की गफन के खेत खसरा सं. 593/317 रकबा 27.00 बीघा, खसरा सं. 591/317 रकबा 16.01 बीघा, खसरा सं. 592/317 रकबा 10.02 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1453 to 1456

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण शोभाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण गुलाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन अधिकारी

दिनांक 02/11/2021



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन अधिकारी

चौहटन